


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के निम्नांकित कार्मिकों का दोहरा पदस्थापन हो जाने से निम्नांकित के नाम के सामने अंकित स्थान पर संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है—  
क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास/2019-20 दिनांक- 09.10.19

ब	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	subject	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	दिनेश कुमार पारीक	hist	मोहम्मदगढ-उनियारा टोंक से स्थानान्तरणाधीन बरण-बनेडा-भीलवाड़ा के स्थान पर	BHILWARA	GOVT. HR. SEC. SCHOOL MUSHI,MUSHI,MUSHI (214511)	BHILWARA
2	कृष्ण कुमार शर्मा	hist	सुनारी-सेवर भरतपुर से स्थानान्तरणाधीन हिनीता चौकी धौलपुर के स्थान पर	dholpur	सुनारी-सेवर भरतपुर यथावत	bharatpur
3	सुशीला सेन	hist	मथानिया-जाधपुर से स्थानान्तरणाधीन महा.गांधी चैनपुरा-जोधपुर के स्थान पर	Jodhpur	MANAKLAO-MANDORE	JODHPUR
4	मांगी लाल कहार		बालापुरा-शाहपुरा भीलवाड़ा से स्थानान्तरणाधीन भरणीकला- जहाजपुर भीलवाड़ा के स्थान पर	BHILWARA	GOVT. HR.SEC. SCHOOL ARNIYA (SAHADA) BHILWARA, SAHADA (08240704301 )	BHILWARA
5	अनिता चौधरी	hist	FATEHGARH,AJMER (214195) से स्थानान्तरणाधीन श्री पांचूलाल बांगडी राउमावि साली-दूदू के स्थान पर	Jaipur	GSSS KACHOLIYA -BASSI	JAIPUR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास/2019-20

दिनांक- 09.10.19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवे।
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनितरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर